

प्रेसनोट दिनांक 07.04.2021

1. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री जगन्नाथ मणि त्रिपाठी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आलोक कुमार उर्फ रिन्कू पुत्र स्व0 बाल गोपाल नि0 निराला नगर थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 230/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पंचू पुत्र भग्गल नि0 कूढ़ा केशवपुर पूरे वन्दवन थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 232/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जगदम्बा उर्फ मुन्ना पुत्र हिरावन नि0 ककरही बाजार थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट मु0अ0सं0 167/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मल्हू पुत्र स्व0 हरीराम नि0 कोटसराय थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 168/21 धारा 60(2) व 63 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शीतला प्रसाद पुत्र तुलसी राम नि0 नियाँवा चौराहा थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 169/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रदुम्न निषाद पुत्र हनुमान नि0 हाजीपुर सिंहपुर थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 170/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 06.04.21 को वादी श्री मो0 शादाब पुत्र सुभान उल्ला नि0 कजियाना थाना रा0ज0भू0 अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सलमान पुत्र चॉद नि0 कजियाना थाना रा0ज0भू0 अयोध्या आदि 03 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 38/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरजीत पुत्र ओंकार नि0 खम्हौर भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र मिश्रीलाल नि0 सिडहिर नरसिंहपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 35 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 128/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अर्जुन शुक्ला थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवम पुत्र राम अशीष नि0 रामपुर भगन थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 129/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनीष सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह नि0 राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिला पंचायत पद प्रत्याशी आनन्द सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह नि0 ड्योढ़ी बाजार थाना रौनाही अयोध्या व 30-40 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के रैली निकालना व सार्वजनिक सभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 159/21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 06.04.21 को वादी हे0का0 भूपेन्द्र सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हीरा निषाद पुत्र राम हरन नि0 तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 163/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित पुत्र रामबोध नि0 सिरसा नियाजपुर वनकटवा थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 79/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिला पंचायत पद प्रत्याशी ब्लाक बीकापुर सूरज कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र नि0 सोनौरा थाना हैदरगंज अयोध्या अभियुक्त बिना अनुमति के अपने साथियों के साथ वाहन पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार कर पंचायत चुनाव 2021 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 80/21 धारा 188, 171एच भादवि व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
16. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि कुमार पुत्र जगलाल नि0 थरिया कला थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 81/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
17. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धनराज पुत्र रवतार नि0 खजुरी थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 82/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
18. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कमलेश यादव जिला पंचायत पद प्रत्यासी ब्लाक मिल्कीपुर अयोध्या अभियुक्त द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 04 पहिया वाहन पर डी0जे0 बांधकर प्रचार प्रसार करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 162/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
19. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज कुमार पुत्र ननछेद नि0 अमांवा छीटन थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 128/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
20. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जगराम पुत्र कांशीराम नि0 जोरियम थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 129/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश पुत्र ननकू नि0 इसरौलिया मजरे फिरोजपुर मखदूमी थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 165/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
22. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार पुत्र ढोड़े नि0 गनेशपुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 90/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
23. दिनांक 06.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 मोबीन पुत्र छुट्टन नि0 नगरा थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 78/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।